

(भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-I, खण्ड-1) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 66 (आर0ई0-2013)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक: 11 जुलाई, 2014

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 की सार्वजनिक सूचना सं. 30 (आरई:2013)/2009-2014 के द्वारा निलंबित सिओन क-1143, क-1170 क-3627 और ट-134 को नीचे यथा विनिर्दिष्ट संशोधन के साथ पुनर्स्थापित करते हैं:-

1	2	मौजूदा प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
सिओन सं.	निर्यात मदें	आयात मदें	आयात मदें
क3627	ग्लास वायल्स/ फायल्स/ एम्पूल्स/ परफ्यूम बाटल्स/नेल इनेमल बाटल्स/ फाउंडेशन बाटल्स/मिनिएचर्स/ क्रीम जार (ग्लास स्क्रेप/कलेटरूट)	1. ग्लास फार्मर्स नामत, . . (ड.) रूटाइल	1. ग्लास फार्मर्स नामत, . . (ड.) फार्मर रूटाइल ग्रेड
		4. अन्य विशेष एडीटिक्स नामत, . . (ग) न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स (टाइटेनियम डाइऑक्साइड)	4. अन्य विशेष एडीटिक्स नामत, . . (ग) न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स (रूटाइल ग्रेड के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड)
ट134	ग्लास मोजेक	2. फोर्मर्स(फ्लूओरसपर, रूटाइल)	2. फोर्मर्स (फ्लूओरसपर, रूटाइल ग्रेड)
		9. पिगमेंट्स/कलरिंग एजेंट्स (कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम डाइऑक्साइड)	9. पिगमेंट्स/कलरिंग एजेंट्स (कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, क्रोमियम, रूटाइल ग्रेड के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड)

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सिओन क-1143, क-1170 क-3627 और ट-134 को इस संशोधन के साथ बहाल किया गया है कि कॉलम 3 में सूचीबद्ध आयात मदों को उपरोक्त कॉलम 4 में सूचीबद्ध मदों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

( प्रवीर कुमार )  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई-मेल: dgft@nic.in